कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1215/E.File No.-0696/2025/ दिनांक : ई-साईन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज- पवई- कटनी मार्ग के निर्माण/ चौड़ीकरण (falling in the southern & Western portion of Panna Tiger Reserve) हेतु 44.05 (12.15 ha of existing Carriageway) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाई प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/Road/121709/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी ऑनलाईन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 23-09-2025 .

—0—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः-

शर्ते-A

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा दुगने बिगड़े वनक्षेत्र की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की राशि रुपये 22671812/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 14.10.2025 से जमा कराई जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान से नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 30553182/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 14.10.2025 को आवेदक संस्थान द्वारा जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण, रोड साइड प्लांटेशन एवं नेट प्रजेण्ट वैल यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 14.10.2025 से जमा कराई जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, छतरपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2023 द्वारा रकबा 25.500 हेक्टेयर का प्रस्तुत किया गया है, शेष 6.40 हेक्टेयर का पृथक से प्राप्त कर प्रेषित किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.09.2025 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/ वन्यजीव/ व.त.अ.-1/ 25.20/8362 दिनांक 19.09.2025 से जारी स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक **(7)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा Noise & Crash Barrier system लगाने हेतु विवरण पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक **(8)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा major bridges, minor bridges and culverts का ले ऑउट प्लान पोर्टल में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक **(9)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा रोड साइड प्लांटेशन योजना की राशि रुपये 8276167**/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **14.10.2025** से जमा कराई जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक **(11)** के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है**,** जिसका ID no. **56362** है।

शर्त क्रमांक (12) से (14) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

<u>शर्ते-B</u>

शर्त क्रमांक **(1)** के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य वन मण डलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में नेट प्रजेण्ट वैल्यू का वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक (4) से (15) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 13-11-2025
18:19:10

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि**:-**

1- उप संचालक**,** पन्ना टाइगर रिवर्ज**,** पन्ना**,** मध्यप्रदेश।

2- कार्यपालन यंत्री**,** लोक निर्माण विभाग**,** राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग**,** सागर**,** मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कायार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग सागर (म0प्र0)

पत्र क्र0 2131 /कार्य/2025–26 सागर दिनांक 30/10/25

प्रति,

क्षेत्रसंचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व
पन्ना (म0प्र0)

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण (Falling in the southern & Western portion of Panna Tiger Reserve) हेतु 44.05 (12.15 ha. Of existing carriageway) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत् । (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/121709/2021)

सन्दर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0–06–MPR 011/2023-BHO दिनांक 23.09.2025
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र0–एफ–5/1215/2023/10–11/2418 दिनांक 24.09.2025
3– आपका पत्र क्र0–तकनीकी/2025/2276 पन्ना दिनांक 13.10.2025 एवं पत्र क्र. –तकनीकी/2025/2351 दिनांक 24.10.2025
4– अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर का पत्र क्र0–710 /तक0/2025–26 दिनांक 30.10.2025

———00———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र0–1 एवं 2 के द्वारा विषयांकित कार्य के प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति शासवत प्रदान की गई है । संदर्भित पत्रों के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का लेख किया गया है ।

अतः समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

Compliance	User Agency Reply
A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by theState Forest Department	
1. The cost of compensatory afforestation on the CA land 70.00 ha degraded-forest landat the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including thecost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required forsecuring the land against encroachment) shall be deposited in advance with the StateForest Department by the project authority. The CA	**Agreed & complied** The User Agency has deposited an amount of Rs. 22671812.00 against CA Amount in CAMPA wide UTR No. CNRBR52025101868156285 *(The copy of Deposited Receipt enclosed.)*

will be maintained for 10 years. Thescheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for worksscheduled for subsequent years.	
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 31.90 Ha, forestarea to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of theHon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03 / 2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per theguidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.U) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 $ 5-3/2011-FC(vol-1) dated 06/10/2022 in this regard.	**Agreed & complied** The User Agency has deposited an amount of Rs. 30553182 against NPV Amount in CAMPA wide UTR No. CNRBR52025101868156285 ***(The copy of Deposited Receipt enclosed.)***
3. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	**Agreed & complied** The User Agency has deposited the same amount in CAMPA wide UTR No. CNRBR52025101868156285 ***(The copy of Deposited Receipt enclosed.)***
4. Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	**Agreed & complied** ***(The copy of FRA - 2006 enclosed.)***
5. The User Agency shall ensure strict compliance with all conditions stipulated in the National Board for wildlife (NBWL) approval dated 03.09.2025 and as per the specification and suggestions given in the WII report for "Eco-friendly measure to mitigate impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" shall be incorporated after consultation with the concerned DFO during the construction at the cost of project by the project proponent.	**Agreed** The User Agency is agreed to ensure strict compliance with all conditions stipulated in the National Board for wildlife (NBWL) approval dated 03.09.2025
6. The left-out portions where green field alignment and curve improvement is being proposed in the alignment shall be reinstated to its original form and reclaimed at the cost of the project by the project proponent under the supervision of Forest Department. The same shall be surrendered to the supervision of Forest Department. The same shall be surrendered to the Forest Department after completion of the project. The detailed site improvement plan shall be submitted before submitting proposal for Stage-II approval.	**Agreed**
7. The acoustic noise barrier system/ crash barrier system may be installed/ executed as	**Agreed** As per the JMS of suggested site in

	per specification of IRC SP130-2022 and IRC-2015 wherever required during the construction of proposed road in consultation with the concern DFO.	consultation with the concern DFO or by the Team of Forest Department for "The acoustic noise barrier system/crash barrier system should be installed/excited as per specification of IRC SP130-2022 and IRC 2015 during the construction of proposed road" The KML of suggested locations in JMS with Forest team is enclosed.
8.	The User Agency shall submit a detailed layout plan for the construction of major bridges, minor bridges and culverts in this project, prior to the grant of Stage-II approval.	**Agreed** Required layout plans enclosed.
9.	The road side plantation shall be carried out by the State Forest Department as per Scheme submitted and the requisite fund shall be deposited in CAMPA by the Project Proponent.	**Agreed & complied** The User Agency has deposited an amount of Rs. 8276167.00 in CAMPA wide UTR No. CNRBR52025101868156285 ***(The copy of Deposited Receipt enclosed.)***
10.	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed of in forest land.	**Agreed** Undertaking enclosed.
11.	The KML files of Diverted and CA area shall be uploaded on the e.Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	The condition is related to Forest Department.
12.	Violation of any these Condition will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	**Agreed** The User Agency has ensure that the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 will never occurred in any Protected or Forest Areas.
13.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	**Agreed** The User Agency has ensure that The compliance report will be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)
14.	In case working permission in granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	**Agreed**
B.	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approvals:**	
1.	Legal Stats of the forest land shall remain unchanged.	**Agreed**
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 70.00 Ha degraded Forest Land, Compartment No. P-480, Forest Beat – Biharpara, Forest Range –	**Agreed**

Kishangarh (Buffer), Tehsil – Bijawar, District – Chhatarpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	
3. Additional amount of the NPV of the diverted Forest land, ifany, becoming due after finalization of the same by the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	**Agreed** **Undertaking enclosed.**
4. The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 8066 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	**Agreed** The User Agency has agreed to felling of Trees inside the Protect and Forest Area will be minimum or as per the minimum requirement of Project.
5. Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	**Agreed** The User Agency has agreed to Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost
6. Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	**Agreed**
7. Layout plan of the proposal shall not be changes without prior approval of Central Government.	**Agreed**
8. No Labour camp shall be established on the forest land.	**Agreed**
9. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	**Agreed**
10. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	**Agreed**
11. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	**Agreed**
12. The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	**Agreed**
13. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all	**Agreed**

	the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	
14.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of central Government.	**Agreed**
15.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	**Agreed**

Encl:- As above

Executive Engineer,
P.W.D. National Highway
Division Sagar (M.P.)

पृ0क्र0 2132 /कार्य/2025–2026 सागर दिनांक 30/10/25

प्रतिलिपि:–

1– मुख्य अभियंता लो.नि.वि.रा.रा. परिक्षेत्र, निर्माण भवन भोपाल की ओर उक्त शर्तो के परिपालन में आने वाली संभावित लागत में वृद्धि के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2– क्षेत्रीय अधिकारी एम.ओ.आर.टी.एण्ड.एच. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

3– अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर की ओर कडाई से पालनार्थ प्रेषित।

Executive Engineer,
P.W.D. National Highway
Division Sagar (M.P.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर

दूरभाष 07582–222206 E mail eepwdnhsagar768@gmail.com

ज्ञाप क0/ 2089 / व.ले.लि. /2025–26 सागर दिनांक 17/10/25

प्रति,

उपसंचालक

पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण (Falling in the southern & Western portion of Panna Tiger Reserve) हेतु 44.05 (12.15 ha. Of existing carriageway) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत् । (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/121709/2021) **क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं एन.पी.व्ही की राशि मार्ग किनारे रोपण योजना की राशि जमा करने बावत्।**

संदर्भ :– 1–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0–06–MPR 011/2023-BHO दिनांक 23.09.2025

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र0–एफ–5/1215/2023/10–11/2418 दिनांक 24.09.2025

3– आपका पत्र क्र0–तकनीकी/2025/2276 पन्ना दिनांक 13.10.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि यह मार्ग इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में प्रस्तावित है। संदर्भित पत्र क्र. 1 एवं 2 के द्वारा विषयांकित कार्य प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रं. 2 में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि रू. 22671812.00 एवं एन.पी.व्ही की राशि रू. 30553182.00 एवं मार्ग किनारे रोपण योजना की कुल वयय की राशि 8276167.00 इस प्रकार वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की कुल राशि रू. **61501161.00** इस कार्यालय द्वारा जमा की गई CAMPA fund राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

CAMPA fund में Challan द्वारा भेजी गई राशि	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि	22671812.00
	एन.पी.व्ही की राशि	30553182.00
	मार्ग किनारे रोपण योजना की कुल वयय की राशि	8276167.00
	Total	**61501161.00**

Challan date – 14-10-2025 Application No. 61121709314
Beneficiary Branch and code:
Proposal No. WL/MP/ROAD/121709/2021
MoEF/SG file No . 6-MPR011/2023-BHO
Agency Name:-
Beneficiary A/C No. 1507661121709314
UTR No.:- CNRBR52025101868156285

अतः आपसे निवेदन है कि मार्ग के कार्य में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु द्वितीय स्टेज की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सहपत्रः– CAMPA **fund** में किए गए भुगतान की प्रति

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर
सागर दिनांक 17/10/25

पृ0 क0/ 2090 /व.ले.लि./2025–26

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक भोपाल की ओर संदर्भित पत्र क्रं. 1 के संदर्भ मे सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लो.नि.वि.रा.रा. परिक्षेत्र, निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी एम.ओ.आर.टी.एण्ड.एच. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर जिला पन्ना/छतरपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.रा.रा. उपसंभाग छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

सहपत्रः– शून्य

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग सागर (म0प्र0)

पत्र क्र0 2133 /कार्य/2025–26 सागर दिनांक 30/10/25

Undertakings

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण(Falling in the southern & Western portion of Panna Tiger Reserve) हेतु 44.05 (12.15 ha. Of existing carriageway)संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत् ।

(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/121709/2021)

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयांकित कार्य के लिये प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो के पालन का वचन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1– सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त क्र0–(A-10) का पालन किया जाता है:–
प्रभावित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कूड़ा–कर्कट (MUCK) इकट्ठा नही किया जायेगा जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध रहेगा ।

2– सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्त क्रमांक (B–3) का पालन किया जाता है–
सैद्धांतिक स्वीकृति में एक वचन पत्र के लिये लेख किया गया है कि एक्सपर्ट कमेटी से रिपोर्ट मिलने और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे फाइनल करने के बाद, अगर, डायवर्टेड फॉरेस्ट लैंड के नुकसान के लिए कोई एक्स्ट्रा रकम देनी होगी, तो यूजर एजेंसी वह रकम भी राज्य सरकार के CAMPA अकाउंट में जमा करेगी। यूजर एजेंसी इसके लिए वचन बद्ध है।

3– योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के अवधि में अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने पर अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध रहेगा ।

उपयंत्री, लो0नि0वि0रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर	कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0रा0रा0 संभाग सागर (म0प्र0)

CamScanner

FORM –I
(For projects linear projects)
Government of M.P.
Office of the District Collector, Chhatarpur

No. ..../FRA/Tribal/2022-23/ 11844 Chhatarpur Date 06/01/023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted For Non Forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that total area 25.500 hec. Hectares in Compartment No P-519,520,521,458,459,479,475, 454,514 Forest Land and in favour of MPPWD Sagar (MP) for a part of Gulganj-Amanganj-Pawai-Katni Road NH-43 Ext.Details are given below.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 25.500 Hec. in Compartment No P-519,520,521,458,459,479,475, 454,514 of forest land A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure —-to-- Annexure.

(b) The diversion of forest land and Revenue forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

जिला संयोजक
आदिम जातीय कार्य विभाग
छतरपुर (म.प्र.)

Collector
Distt. Chhatarpur
जिला छतरपुर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश
भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / वन्यजीव / व.त.अ.–1 / 25.20 / 8362 भोपाल, दिनांक 19.9.25

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
सागर

विषय :– **पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के गुलगंज से अमानगंज मार्ग के (43.00 कि.मी. से 77.00 कि.मी., कुल 34 कि.मी. में से) 17.00 कि.मी. में 31.82 हेक्टेयर (आवेदित वनक्षेत्र 31.90 हेक्टेयर) वनभूमि एवं राजस्व क्षेत्र में 16.08 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 47.90 हेक्टेयर भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति।**

संदर्भ :– परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक WL/MP/ROAD/121709/2021 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.No.WL-6/61/2025-WL दिनांक 03.09.2025

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के गुलगंज से अमानगंज मार्ग के (43.00 कि.मी. से 77.00 कि.मी. कुल 34 कि.मी. में से) 17.00 कि.मी. में 31.82 हेक्टेयर (आवेदित वनक्षेत्र 31.90 हेक्टेयर) वनभूमि एवं राजस्व क्षेत्र में 16.08 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 47.90 हेक्टेयर भूमि को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ था।

2. प्रस्तावानुसार परिक्षेत्र किशनगढ़ बफर के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी–454, पी–458, पी–459, पी–475, पी–479, पी–514, पी–519, पी–520 एवं पी–521 के अंतर्गत 13.40 कि.मी. लम्बाई में रकबा 25.42 हेक्टेयर एवं परिक्षेत्र अमानगंज बफर अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी–1283, पी–1284 लम्बाई 3.650 कि.मी. रकबा 6.40 हेक्टेयर इस प्रकार मार्ग की लम्बाई 17.050 कि.मी. मे 31.82 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	प्रभावित क्षेत्र	लम्बाई	चौड़ाई
				(हे. में)	(मीटर में)	
1	किशनगढ बफर	वसुधा / सैपुरा	P-519/521	0.13	50	25
				0.26	150	17
				0.13	50	25
				2.64	1550	17
		वसुधा	P-521	1.37	390	35
		वसुधा / सैपुरा	P-520/P-514	0.28	80	35
		सैपुरा	P-514	0.76	280	27
				2.13	1250	17
				0.81	300	27
				0.42	120	35
			P-520	1.33	380	35

	किशनगढ़ बफर	वसुधा	P-520	0.62	230	27
			P-520	0.97	570	17
			P-520	0.17	100	17
			P-520	0.34	200	17
			P-520	0.17	100	17
			P-520	0.26	150	17
		राईपुरा	P-454	1.70	1000	17
		किशनगढ़	P-458	0.09	50	17
			P-459	2.47	1450	17
		पुरवा	P-479	5.53	3250	17
		जैतपुर	P-475	2.89	1700	17
			योग	**25.42**	**13400**	
2	अमानगंज बफर	उड़ला	P-1283	1.55	910	17
				0.35	140	25
				1.11	650	17
			P-1284	0.25	100	25
				3.14	1850	17
			योग	6.4	3650	
			कुल वनभूमि योग	31.82	17000	
	राजस्व भूमि (17 कि.मी. में 40.98 हेक्टेयर में से 24.90 हेक्टेयर वर्तमान में मार्ग निर्मित है।) (40.98–24.90=16.08)			16.08	17000	
			कुल योग	47.90		

3. परियोजना के अंतर्गत 8066 वृक्षों को काटा जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना के लिए प्रस्तुत पैसेज प्लान में वर्णित अधोसंचनाओं के निर्माण सहित लागत रूपये 315.92 करोड़ दर्शायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र में बाघ, तेन्दुआ, लकड़ग्गा, सियार, सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ता, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि वन्यप्राणी पाये जाते है। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदाय की जा सकेगी। संरक्षित क्षेत्र प्रभारी द्वारा मार्ग में सुझाये गये स्थलों पर 01 ओव्हर पास, 08 अण्डरपास एवं संकेतिका बोर्ड वन्यप्राणियो के संरक्षण हेतु लगाया जाना प्रस्तावित किया जाकर आवेदक संस्था द्वारा पैसेज प्लान प्रस्तुत किया गया है। अण्डरपास एवं ओव्हर पास का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	ओव्हर पास / अण्डर पास का विवरण	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई
		(मीटर में)		
1	अण्डरपास	350	12	5
2	अण्डरपास	700	12	5
3	अण्डरपास	400	12	5
4	ओव्हरपास	650	30	5.5
5	अण्डरपास	600	12	5
6	अण्डरपास	700	12	5
7	अण्डरपास	550	12	5
8	अण्डरपास	600	12	5
9	अण्डरपास	650	12	5
	योग	5200	–	–

4. प्रस्तुत पैसेज प्लान में उक्त अधोसंरचनाओं के अतिरिक्त 08 पुलिया, 24 कल्वर्ट एवं 27 ह्यूम पाइप कल्वर्ट निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग की क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना द्वारा की गई अनुशंसा से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाये जाने एवं रात्रि में कार्य न करने तथा परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु जमा कराये जाने की शर्त के अधीन प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।

5. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 25वीं बैठक दिनांक 11.03.2024 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के गुलगंज से अमानगंज मार्ग के (43.00 कि.मी. से 77.00 कि.मी., कुल 34 कि.मी. में से) 17.00 कि.मी. में 31.82 हेक्टेयर (आवेदित वनक्षेत्र 31.90 हेक्टेयर) वनभूमि एवं राजस्व क्षेत्र में 16.08 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 47.90 हेक्टेयर भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने संबंधी प्रस्ताव की वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाये जाने एवं रात्रि में कार्य न किये जाने एवं पैसेज प्लान के अनुसार अधोसंरचनाओं के निर्माण किये जाने तथा परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु जमा कराये जाने की शर्त के अधीन राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसा की गई। प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुशंसा प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे।'

6. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 79वी बैठक दिनांक 31.07.2024, 80वी बैठक दिनांक 09.10.2024, 81वी बैठक दिनांक 21.12.2024, 82वी बैठक दिनांक 12.03.2025 में विचारोपरांत प्रकरण में बोर्ड की 85वीं बैठक दिनांक 19.08.2025 में एजेण्डा क्रमांक 85.2 में विचारोपरांत (संदर्भित पत्र दिनांक 03.09.2025 से प्राप्त कार्यवाही विवरण) निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

The Member Secretary informed the Standing committee that the proposal was earlier considered in the 79 meeting of SC-NBWL held on 31st July 2024. The SCNBWL had decided that the animal passage plan may be increased and comments may be sought from WII; WII recommended certain mitigation measures. The proposal was deferred in the 80th meeting for examination of the animal passage plans and submission of the report by the state. The proposal was discussed during the 82nd meeting on 12th March, 2025 in which the Standing Committee directed that a comprehensive review may be done. A comprehensive review was done at the level of Secretary, EF&CC and the State government was asked to provide a comprehensive note on the requirement of the road vis-a-vis the existing road infrastructure in the region. The Wildlife Institute of India was also asked to revisit the mitigation letters. Responses were sent by both the CWLW and WII.

***Decisions taken:** After detailed deliberations with the members and the CWLW, Madhya Pradesh and considering the recommendation of the SBWL, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to inter alia the following conditions:*

6.1. CWLW MP will coordinate with WII for the implementation of mitigation plan

6.2. All the construction material will be brought from outside of the tiger reserve.

6.3. No labour camp will be established inside the tiger reserve area.

6.4. *Construction work will not be carried out at night.*

6.5. *An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :—

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

8. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 82वी बैठक दिनांक 12.03.2025, 85वीं बैठक दिनांक 19.08.2025 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 25वीं बैठक दिनांक 11.03.2024 में की गई अनुशंसाओं तथा प्रकरण में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के गुलगंज से अमानगंज मार्ग के (43.00 कि.मी. से 77.00 कि.मी., कुल 34 कि.मी. में से) 17.00 कि.मी. में 31.82 हेक्टेयर (आवेदित वनक्षेत्र 31.90 हेक्टेयर) वनभूमि एवं राजस्व क्षेत्र में 16.08 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 47.90 हेक्टेयर भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने संबंधी प्रस्ताव की सशर्त सैद्धांतिक वन्यजीव अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः—

8.1. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 82वी बैठक दिनांक 12.03.2025 एवं 85वीं बैठक दिनांक 19.08.2025 में एजेण्डा क्रमांक 85.2 पर लिए गये निर्णय अनुसार कंडिका क्रमांक 6.1 से 6.5 तक एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 25वीं बैठक दिनांक 11.03.2024 लिये गये निर्णय अनुसार उल्लेखित/अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जावे।

8.2 प्रकरण में भारतीय वन्यजीव संस्थान,देहरादून, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये मिटिगेशन मेजर्स पैसेज प्लान के अनुसार ही अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जावे।

8.3 प्रकरण में उक्त मार्ग के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 43.00 भाग टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र के अंतर्गत होने से मार्ग के इस भाग के निर्माण के लिये वन्यजीव अनुमति हेतु प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत किये जाना होगा। उक्त भाग में मार्ग निर्माण की वन्यजीव अनुमति नही है।

8.4. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार टाइगर रिजर्व के विकास हेतु प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

8.5. संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।

8.6. निर्माण सामग्री संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।

8.7. संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी—नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा/वन्यजीवों एवं उनके रहवास को

नुकसान पहुँचाना/आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।

8.8. श्रमिक कैम्प संरक्षित क्षेत्र की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि.मी. की दूरी पर लगाया जाये तथा रात्रि के दौरान निर्माण क्षेत्र में वाहन एवं श्रमिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

8.9. प्रस्तावानुसार परियोजना के अंतर्गत 8066 वृक्षों के अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष न काटा जावे और न ही मार्ग नुकसान पहुंचाया जावेगा। प्रकरण में वृक्षो की कटाई प्रस्तावित होने एवं वन भूमि का व्यपवर्तन होने से प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उक्त अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्माण कार्य न किया जावे।

8.10. आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्र के भीतर मार्ग निर्माण कार्य की अवधि न्यूनतम रखी जाये क्योंकि लम्बे समय तक निर्माण कार्य जारी रहने से वनक्षेत्र में वन्यजीवों का रहवास/आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

8.11. आवेदक संस्था को संबंधित संरक्षित प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना को उपलब्ध करानी होगी।

8.12. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

8.13. निर्माण के दौरान कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक करा दिया जाये।

8.14. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

8.15. आवेदक संस्था एवं संरक्षित क्षेत्र प्रभारी द्वारा कार्य के संबंध में वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत की जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक-8.4 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा तथा मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अधिरोपित तथा अन्य समस्त शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत, प्रकरण में पृथक से अंतिम वन्यजीव अनुमति जारी की जा सकेगी। उक्त शर्तों का यदि मार्ग निर्माण के दौरान उल्लंघन किया जाता है, तो आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

14/07/25

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र.

पृ. क्रमांक / वन्यजीव / व.त.अ.–1 / 25.20 / 8363 भोपाल, दिनांक 19.9.25

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग / संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।
6. कलेक्टर, जिला–पन्ना / छतरपुर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रबंधक, मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र.

D:\DM Sec\NEW Widlife Clerance Letter.docx

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

▽ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal **Select State :** Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ○ **Paid** ○ **Unpaid** ◉ **All**

Enter value for Search : 121709

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/121709/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/121709/2021) Gulganj - Amanganj (NH-43Ext.) KM 43.00 to KM 77.00 under Panna Reserve Tiger Buffer Zone	ROAD1217092021314	23 Sep 2025	**CA:** 22671812/-, **PCA:** 0/-, **Safety Zone:** 0/-, **NPV:** 30553182/-, **Total :** 61501161/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Road Side Plantatin :** 8276167/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 14 Oct 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 14 Oct 2025 **Transaction Date** : 14 Oct 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/141020250829470561_FPMPROAD1217092021_User_Fund_Demanded_63P76. Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1217092021314)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

e-GreenWatch

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:56362

Project Name : **Gulganj-Amanganj (NH-43Ext.) KM 43.00 to KM 77.00 under Panna Reserve Tiger Buffer Zone**

Year : **2025**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.